कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्रीमती कविता मेघानी व्याख्याता समाजशास्त्र राबाउमावि तलवण्डी, कोटा दिनांक 3.7.07 से राज्य सेवा से स्वेच्छा से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 16/6/09 से राजकीय सेवा से स्वैच्छिक परित्याग स्वीकृत किया गया । तदुपरान्त याचिका संख्या 11675/10 कविता मेधानी बनाम सरकार में माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 14/9/16 एवं डीबी सिविल स्पेशल अपील सख्या 908/16 में पारित निर्णय दिनांक 11/11/16 की पालना में श्रीमती कविता मेघानी व्याख्याता समाजशास्त्र को राबाउमावि तलवण्डी, कोटा में आदेश दिनांक 21/3/17 से पुनः नियुक्ति प्रदान करने के फलस्परूप 24/3/17 को कार्यग्रहण कर लिया गया एवं अनुपस्थिति अवधि के संबंध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी । अतः श्रीमती मेघानी को दिनांक 3/7/07 से 16/6/09 तक राज्य सेवा से स्वैच्छिक परित्याग आदेश जारी होने की तिथि तक राज्य सेवा में स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन दिनांक 14/8/18 द्वारा आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई, तत्पश्चात आरोप पत्र में आरोपित को " दो वार्षिक वेतनवृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर " आदेश दिनांक 26.10.18 से निर्णय कर आरोप पत्र का निस्तारण किया ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती कविता मेघानी व्याख्याता समाजशास्त्र राबाउमावि तलवण्डी, कोटा द्वारा आवेदित अवधि 03.07.07 से 16.06.09 तक 715 दिवस का असाधारण अवकाश संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा की अभिशंषा पर स्वीकृत किया जाता है, असाधारण अवकाश अवधि की वेतनवृद्वि देय नहीं होगी ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/सी–5/दीर्घकालीन अवकाश/2018 दिनांकः–29/03/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा...
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.................
4. संबंधित संस्था प्रधान...............................
5. संबंधित कार्मिक............................
6. कम्पयुटर एनेलिस्सिट कम्पयुटर प्रभाग कार्यालय हाजा
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री भंवरलाल व्याख्याता राजस्थानी राउमावि लीलसर बाडमेर द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय राजस्थानी में नियुक्त न्यून वरियता वाले कार्मिकों के समान वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्वि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 652/2019 मनोज कुमार व अन्य बनाम सरकार दायर की । प्रकरण में माननीय उच्च न्यायलय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 में सुमनबाई व अन्य बनाम सरकार 2009(1)WLC (RAJ) 381 से कवर्ड कर निर्णित किया गया ।

याचिकार्थी श्री मनोज कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय राजस्थानी में नियुक्ति प्राप्त न्यून वरियता वाले कार्मिक के अनुरूप वेतन स्थिरीकण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्वि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु मांग की गई है।

याचिकार्थी श्री मनोज कुमार व अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय राजस्थानी में चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से प्राप्त होने पर नियमानुसार इनके आवेदन पत्र मय दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जारी किये जाते रहे हैं। प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 17.10.2016 को जारी किया गया। जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में रिशफल परिणाम दिनांक 25.06.2018 में चयनोपरान्त इनकी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से दिनांक 11.07.2018 को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने पर आवेदन पत्रों की जॉच उपरान्त इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20/07/18 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई । याचिकार्थी श्री मनोज कुमार के द्वारा प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय राजस्थानी में प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 17/10/16 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्वि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग सुमनबाई व अन्य बनाम सरकार 2009(1)WLC (RAJ) 381 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

उपर्युक्तानुसार संबंधित अभिलेख एवं नियमों के संदर्भ में याचिकार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में की गई मांग का गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरान्त यह पाया गया कि याचिकार्थी मनोज कुमार व्याख्याता राजस्थानी राउमावि लीलसर, बाडमेर (मेरिट संख्या 04) एंव पृथ्वीराज सिंह, व्याख्याता राजस्थानी राउमावि जालोर (मेरिट संख्या 05) को प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 में रिशफल रिजल्ट पश्चात आदेश कमाक शिविरा/मा/संस्था/सी–5/नियुक्ति–राजस्थानी/पीएससी–15/2015 दिनांक 20/7/18 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई । जबकि इन से न्यून वरियता वाले पूर्व में चयनित अभ्यर्थी रामगोपाल मीना व्याख्याता राजस्थानी राउमावि नरसाना, सायला, जालोर मेरिट संख्या 08 की अभिस्तावना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से प्राप्त होने पर आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/नियुक्ति–राजस्थानी/पीएससी/15 दिनांक 17/10/16 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई । अतः याचिकार्थी मनोज कुमार व्याख्याता राजस्थानी राउमावि लीलसर, बाडमेर एंव पृथ्वीराज सिंह व्याख्याता राजस्थानी राउमावि जालोर को वास्तविक परिलाभ यथा वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्वि एवं अन्य सेवा परिलाभ प्राध्यापक पद पर स्थाईकरण तिथि से, काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होंगें । उक्त सभी परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरान्त ही देय होंगे ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री मनोज कुमार व अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित सभी पक्षकार सूचित हो ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/अभ्यावेदन/2018

दिनांक 29/03/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली/जोधपुर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जालोर/बाडमेर
3. सहायक निदेशक, विधि प्रभाग माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी–2/जोध/29861/2019 दिनांक 08/02/19 की पालना में सूचनार्थ।
4. संबंधित कार्मिक/संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि लीलसर बाडमेर/ राउमावि जालोर।
5. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)